

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

14 DEC 2017

क्रमांक 1.1(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक

:: अधिसूचना ::

माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कॉलम संख्या 2 में वर्णित न्यायालयों को उनके सामने कॉलम संख्या 3 में वर्णित अपील किराया अधिकरण के रूप में गठित करती है, इनका क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 में वर्णित अनुसार होगा:-

क्र०सं०	वर्तमान न्यायालय का नाम	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु	अपील किराया अधिकरण, चूरु	सरदारशहर
2.	जिला एवं सत्र न्यायालय, अलवर	अपील किराया अधिकरण, अलवर	भिवाडी

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, सरदारशहर, चूरु, तिजारा, भिवाडी, अलवर।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सो.डी. सहित)।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवसिया)
संयुक्त शासन सचिव